"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 350] रायपुर, शनिवार दिनांक 31 दिसम्बर 2011—पौष 10, शक 1933

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ 34/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/1862.—दिनांक 30 नवम्बर 2011 को नगर पंचायत, कटघोरा, जिला कोरबा, छ.ग. के 03 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. के. तिवारी,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-34/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. प्यारेलाल साहू, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, कटघोरा, जिला कोरबा, छ.ग.

2. भोलासिंह ठाकुर, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, कटघोरा, जिला कोरबा, छ.ग.

3. शेख इश्तियाक, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, कटघोरा, जिला कोरबा, छ.ग.

आदेश

(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 30 नवम्बर 2011

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरबा के प्रतिवेदन दिनांक 5 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत कटघोरा के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 6 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसंबर 2009 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरबा ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 5 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत कटघोरा के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों प्यारेलाल साहू, भोलासिंह ठाकुर एवं शेख इश्तियाक द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 27 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरबा के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाले उपरोक्त अभ्यर्थियों प्यारेलाल साहू, भोलासिंह ठाकुर एवं शेख इश्तियाक को दिनांक 26 फरवरी 2010 को कारण बताओ सूचना जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में चाहा गया. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों प्यारेलाल साहू एवं भोलासिंह ठाकुर को 15 मार्च 2010 को सम्यक् रूप से तामील किया गया है. अभ्यर्थियों प्यारेलाल साहू एवं भोलासिंह ठाकुर को कारण बताओ सूचना सम्यक् रूप से तामील होने के पश्चात् भी उसके द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है. ऐसी स्थिति में यह माना गया कि उपरोक्त अभ्यर्थियों प्यारेलाल साहू एवं भोलासिंह ठाकुर को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई. शेख इश्तियाक को कारण बताओ सूचना प्राप्ति के उपरान्त कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में उन्होंने लिखित जवाब दिनांक 9 मार्च 2010 को आयोग में प्रस्तुत किया जिसमें यह उल्लेख किया है कि दिनांक 23-1-2010 से दिनांक 9-2-2010 तक मलेरिया से पीड़ित होने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में दाखिल नहीं कर पाया. कारण बताओ सूचना मिलने पर दिनांक 10-2-2010 को दाखिल कर पाया. परिस्थिति जन्य कारणों से निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने में विलंब हुआ है. अतएव उनका आवेदन स्वीकार किया जावे. अभ्यर्थी शेख इश्तियाक द्वारा प्रस्तुत जवाब के सन्दर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) कोरबा ने अपने ज्ञापन क्रमांक 298/10/न.पा.नि./2011-12 दिनांक 4-7-2011 में यह उल्लेख किया है कि अभ्यर्थी शेख इश्तियाक द्वारा 13 दिन विलंब से दिनांक 10 फरवरी 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है जबकि शपथ पत्र दिनांक 23 जनवरी 2010 को नोटरी द्वारा सत्यापित है. निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से प्रस्तुत करने का कारण मलेरिया से पीड़ित होना बताया गया है जिसकी पुष्टि के लिए चिकित्सक का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) कोरबा द्वारा यह भी दर्शाया गया कि अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार करने योग्य है. अभ्यर्थी शेख इश्तियाक को प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाकर उन्हें दिनांक 29 सितम्बर 2011 को सुना गया तथा शपथपूर्वक कथन लिया गया जिसमें दिनांक 23-1-2010 से दिनांक 9-2-2010 तक मलेरिया से पीड़ित होने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से दिनांक 10 फरवरी 2010 को दाखिल करना स्वीकार किया तथा विलंब के लिये क्षमा चाहा.

4. प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरबा ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थियों प्यारेलाल साहू, भोलासिंह ठाकुर एवं शेख इश्तियाक ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में

प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अतः उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था.

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरबा के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत कटघोरा के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी शेख इश्तियाक द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2010 को विलंब से निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है. उक्त निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति से अधिसूचित अधिकारी अर्थात् जिला निर्वाचन अधिकारी को विधि की अपेक्षानुसार निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया है. लेकिन अभ्यर्थी दिनांक 23-1-2010 से दिनांक 9-2-2010 तक मलेरिया से पीड़ित रहा. अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा की पुष्टि हेतु दिनांक 23 जनवरी 2010 को शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित कराया गया है अतएव स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी शेख इश्तियाक की मंशा निर्वाचन व्यय लेखा विधि की अपेक्षानुसार अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने की थी. पुनश्च चिकित्सा प्रमाण पत्र से विदित होता है कि दिनांक 23 जनवरी 2010 से 9 फरवरी 2010 तक बीमार होने के कारण दाखिल नहीं कर सके थे. इस स्थिति में समयावधि में व्यय लेखा प्रस्तुत करने में असफलता के लिये अभ्यर्थी के पास यथोचित कारण होने का मानना न्यायसंगत होगा क्योंकि स्वस्थ होते ही अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल कर दिया गया. तद्नुसार उनके विरुद्ध प्रकरण समाप्त किया जाता है. अभ्यर्थियों प्यारेलाल साहू एवं भोलासिंह ठाकुर ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का कोई जवाब दिया. इस असफलता के लिए उन्होंने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी. अतः मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थीगण प्यारेलाल साहू एवं भोलासिंह ठाकुर प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों प्यारेलाल साहू एवं भोलासिंह ठाकुर को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण उन्हें इस आदेश की तारीख से चार साल की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 30 नवम्बर 2011 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.